झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

संख्या–14 / म.2–04 / 2021 - 2144 / राँची, दिनांक 02.11.21

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग राज्य में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के शिक्षण अधिगम में सुधार हेतु कृत संकल्पित है । इस हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर कई योजनाओं का संचालन एवं हस्तक्षेप किए गए हैं । प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए ज्ञानसेतु, निदानात्मक शिक्षा कार्यक्रम, प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों का युक्तिकरण किया गया है, ताकि विद्यालय स्तर पर बच्चों की सीखने की क्षमता एवं शिक्षण अधिगम को बढ़ाया जा सके। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत बच्चों को विद्यालय में सीखने (Learning) हेतु अधिक समय उपलब्ध हो सके इसको ध्यान में रखते हुए निम्न प्रावधान निर्धारित किए गए हैं :–

1. प्राथमिक कक्षा (कक्षा 1 से 5) – प्रतिवर्ष 800 शैक्षणिक घंटे एवं न्यूनतम 200 शिक्षण कार्य दिवस।

2. उच्च प्राथमिक कक्षा (कक्षा 6 से 8) – प्रतिवर्ष 1000 शैक्षणिक घंटे एवं न्यूनतम 220 शिक्षण कार्य दिवस

परन्तु U-DISE के आंकड़ों के अध्ययन से यह पाया गया है कि बहुत से बाह्य कारकों के कारण उपरोक्त न्यूनतम शिक्षण दिवस अथवा न्यूनतम शैक्षणिक घंटों का अनुपालन वास्तविक रूप में नहीं हो पा रहा है । राज्य स्तर से विद्यालयों के अनुश्रवण, शिक्षकों, अभिभावकों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों / Stakeholders से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पाया गया है कि निम्नांकित बाह्य कारणों से विद्यालयों का शिक्षण समय एवं कार्य दिवस बाधित होता है तथा शिक्षक विद्यालय समय में अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाते हैं :–

i. **विद्यालय में अवकाश / छुट्टी** :– वर्तमान में प्राथमिक एवं माध्यमिक निदेशालय के द्वारा प्रतिवर्ष 60 दिनों की अवकाश तालिका अनुमोदित की जाती है । परन्तु विभिन्न कारणों यथा – अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंड (शीत लहर), स्थानीय पर्वों में बच्चे विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं तथा घोषित 60 दिनों के अवकाश के बदले विद्यालय 10–15 दिन अधिक बंद रहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप अवकाश की दिनों की संख्या बढ़कर 70–75 हो जाती है ।

ii. **अन्य विभागों की गैर–शैक्षणिक गतिविधियों में व्यस्तता** :– विद्यालयों में मनाये जाने वाले विशेष कार्यक्रम/दिवस, अन्य विभागों से जुड़ी कई तरह की रैलियों यथा पोषण सप्ताह, पोलियो टीकाकरण अभियान इत्यादि। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2018 में पोषण माह अभियान में शिक्षकों को 12 दिनों के लिए प्रतिनियुक्त रखा गया था।

iii. **गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति/ प्रशिक्षण** :– शिक्षकों का कई तरह के कार्यों यथा– जनगणना, आपदा, चुनाव संबंधी BLO कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति, गुरूगोष्ठी, जिला स्तरीय बैठक एवं प्रशिक्षण आदि विद्यालय शिक्षण अवधि के दौरान आयोजित किए जाने के कारण विद्यालय में वास्तविक शिक्षण– घंटियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा शिक्षक विद्यालय से दूर रहते हैं।

iv. **शिक्षण अवधि में शिक्षकों का विद्यालयीय प्रबंधन एवं अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहना** :– शिक्षकों के द्वारा विद्यालय व्यवस्था, प्रतिवेदन तैयार करने एवं अन्य व्यवस्था संबंधी गैर–शैक्षणिक कार्य विद्यालय के शिक्षण समय में ही किए जाते हैं जिसके कारण बच्चों के शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तथा शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को वांछित शिक्षण–घंटियों के अनुसार पठन–पाठन सुनिश्चित नहीं हो पाता है।

v. कतिपय विद्यालय निर्धारित विद्यालय रूटिन तथा कक्षा संचालन हेतु समय सारणी का पालन नहीं करते हैं, जो विद्यालयों में शिक्षण अवधि के कम होने के प्रमुख कारणों में से एक है।

vi. राज्य अन्तर्गत प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन हेतु समय निर्धारित है, परन्तु विद्यालयों के द्वारा मध्याह्न भोजन में निर्धारित समय से कहीं अधिक समय व्यतीत कर दिया जाता है, जो शिक्षण–समय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

इस संबंध में अन्य देशों का अध्ययन करने पर यथा– OECD (Orgranization for Economic Co-operation and Development) देशों अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा आदि में शिक्षण में व्यतीत होने वाले समय तथा शिक्षण दिवसों के निर्धारित संख्या को सख्ती से अनुपालन किया जाता है। भारत में भी कई राज्य यथा– केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में शिक्षण–समय को विद्यालय में सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाए गए हैं। यह प्रारंभिक विद्यालयों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत आवश्यक भी है।

अतः शैक्षणिक हित में बच्चों के सीखने के समय में वृद्धि हेतु तथा विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा निर्धारित शिक्षण दिवसों एवं शैक्षणिक कक्षाओं के संचालन हेतु सरकार के स्तर से एक स्पष्ट दिशा निर्देश निर्गत किया जा रहा है ताकि विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षण दिवसों एवं शैक्षणिक कार्यों का संचालन कर बच्चों के लिए गुणवत्त शिक्षा को सुनिश्चित कराया जा सके।

2. उद्देश्य :–

(i) राज्य सरकार द्वारा संचालित सरकारी प्राथमिक, मध्य, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधान तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुरूप न्यूनतम शैक्षणिक दिवसों को प्रति वर्ष सुनिश्चित करना।

(ii) विद्यालयों में निर्धारित शैक्षणिक घंटियों का संचालन सुनिश्चित करना।

(iii) विद्यालयों में शैक्षिक एवं गैर–शैक्षणिक समारोह एवं गतिविधियों का संचालन बच्चों के लिए संचालित शैक्षणिक वर्गों को बाधित किए बिना सुनिश्चित करना।

(iv) प्रारंभिक विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निम्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करनाः–

(क.) **एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों/शिक्षण घंटो की न्यूनतम संख्या–**

i. पहली से पांचवी कक्षा के लिए दो सौ कार्य दिवस,

ii. छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए दो सौ बीस कार्य दिवस,

iii. पहली कक्षा से पांचवी कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष आठ सौ शिक्षण घंटे,

iv. छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष एक हजार शिक्षण घंटे।

(ख.) **शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या–**

i. पैतालीस शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं।

अतः उक्त के आलोक में यह आवश्यक है कि राज्य अन्तर्गत विद्यालयों में गैर–शैक्षणिक गतिविधियों में शिक्षण घंटियों का समय अनावश्यक व्यतीत न हो तथा शिक्षण दिवसों के साथ–साथ पठन–पाठन में व्यतीत होने वाले घंटियों को निर्धारित प्रावधान के अनुसार सुनिश्चित किया जा सके।

3. **विद्यालयों में शिक्षण अवधि सुनिश्चित करने हेतु निम्न प्रावधान किये जाते हैं:–**

(क) सभी विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन :– राज्य के शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार विमर्श के आलोक में विद्यालय के समय को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है :–

अवधि	पूर्व में विद्यालय का समय	संशोधित विद्यालय का समय
1 अप्रैल से 30 जून	पूर्वाह्न 6:30 – पूर्वाह्न 11:30	पूर्वाह्न 7:00 – अपराह्न 01:00 (सभी कक्षाओं के लिए)
1 जुलाई से 31 अक्टूबर	पूर्वाह्न 8:00 – अपराह्न 2:00	पूर्वाह्न 9:00 – अपराह्न 03:00 (सभी कक्षाओं के लिए)
1 नवम्बर से 31 मार्च	पूर्वाह्न 9:00 – अपराह्न 3:00	पूर्वाह्न 9:00 – अपराह्न 03:00 (सभी कक्षाओं के लिए)

(ख) विद्यालयों में छात्रों एवं शिक्षकों को 01 अप्रैल से 30 जून एवं 01 जुलाई से 31 मार्च तक के लिए उपरोक्त निर्धारित समय के अनुसार विद्यालय पहुँचने एवं प्रार्थना का समय निम्न रूप से निर्धारित किया जाता है :–

अवधि	विद्यालय संचालन समय	छात्रों के विद्यालय आगमन का समय	शिक्षकों के विद्यालय आगमन का समय	प्रार्थना समय
1 अप्रैल से 30 जून	पूर्वाह्न 7:00 – अपराह्न 01:00	पूर्वाह्न 06:55	पूर्वाह्न 06:45	पूर्वाह्न 07:00
1 जुलाई से 31 मार्च	पूर्वाह्न 9:00 –अपराह्न 03:00	पूर्वाह्न 08:55	पूर्वाह्न 08:45	पूर्वाह्न 09:00

(ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं गुणवत्त शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड राज्य के सभी शिक्षकों को प्रति सप्ताह पैंतालीस घंटे (45 घंटे) कार्य अवधि का पालन करना है। इस हेतु सभी शिक्षक शैक्षणिक, गैर–शैक्षणिक एवं विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारियों को पूरा करने हेतु विद्यालय शिक्षण अवधि समाप्त होने के एक घंटे बाद तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। इस हेतु शिक्षकों के लिए विद्यालय कार्यावधि निम्नवत् होगी :–

माह	शिक्षकों का कार्य समय
1 अप्रैल – 30 जून	पूर्वाह्न 7:00 से अपराह्न 2:00
1 जुलाई – 31 मार्च	पूर्वाह्न 9:00 से अपराह्न 4:00

4. **विद्यालय समय सारणी :–**

(क) सभी विद्यालयों में निम्न समय–सारणी का पालन सुनिश्चित किया जाएगाः–

गतिविधि	समय सारणी	
	1 अप्रैल से 30 जून	1 जुलाई से 31 मार्च
शिक्षक आगमन	6:45 पूर्वा0	8:45 पूर्वा0
विद्यार्थी आगमन	6:55 पूर्वा0	8:55 पूर्वा0
प्रातः सभा/सदन	7:00 पूर्वा0 – 7:15 पूर्वा0	9:00 पूर्वा0 – 9:15 पूर्वा0
शिक्षण अवधि	7:15 पूर्वा0 – 1:00 अप0	9:15 पूर्वा0 – 2:30 अप0
मध्याह्न भोजन	09:30 पूर्वा0 – 10:00 बजे पूर्वा0	02:30 अप0 – 3:00 अप0
शिक्षक प्रस्थान	02:00 अप0 तक	04:00 अप0 तक

(ख) प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने पर सभी विद्यालयों में उपरोक्त समय–सारणी का पालन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से किसी विद्यालय में उपरोक्त समय–सारणी में किसी तरह का परिर्वतन किया जाता है तो सत्र प्रारंभ होने के वक्त ही इसकी लिखित जानकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी। संबंधित नियंत्री पदाधिकारी इसे अपने कार्यालय में संधारित करेंगे।

(ग) अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के निर्धारित अवधि में सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन ससमय उपलब्ध कराने हेतु एक से अधिक मध्याह्न भोजन वितरण स्थल रखे जायेंगे।

(घ) **शनिवार के लिए विद्यालय संचालन व्यवस्था –**

(i) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानक को पूर्ण करने के लिए शनिवार पूर्ण कार्य दिवस होगा।

(ii) दूसरा, चौथा एवं पाँचवा शनिवार (घोषित अवकाश को छोड़कर) पूर्णतः शैक्षणिक एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाएगा।

(iii) पहले और तीसरे शनिवार का उत्तरार्द्ध (Second half) विद्यालय हाउस गतिविधि, प्रश्नोत्तरी/नृत्य/संगीत/चित्रकला/ नाटक प्रतियोगिता/ सहगामी गतिविधियों के रूप में उपयोग की जाएगी। विद्यालय में बच्चों को विभिन्न हाउस में विभक्त कर उपरोक्त गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। जिन शिक्षकों की आवश्यकता उपरोक्त गतिविधियों के लिए नहीं होगी, वे इस समय में अपने विद्यालय प्रबंधन, अभिलेख संधारण जैसे– गैर–शैक्षणिक/ प्रशासनिक कार्यों को कर सकेंगे।

5. **विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं अन्य गैर–शैक्षणिक दायित्वों के निर्वहन हेतु व्यवस्था का निर्धारण –**

(i) शिक्षक के द्वारा कोई भी प्रशासनिक/विद्यालय प्रबंधन अथवा व्यक्तिगत कार्य जैसे– बैंक कार्य, शिकायत निवारण हेतु प्रशासी कार्यालय का भ्रमण, व्यक्तिगत वेतन, पेंशन तथा अन्य स्थापना संबंधी कार्य विद्यालय शिक्षण अवधि में नहीं किए जायेंगे।

(ii) विद्यालय प्रबंधन से संबंधित कार्य एवं अन्य शिक्षक स्थापना संबंधी कार्यों का निष्पादन विद्यालय के शैक्षणिक अवधि के समाप्ति के पश्चात कर सकेंगे।

(iii) विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के द्वारा शिक्षकों के बीच विभिन्न दायित्वों का विभाजन कर विद्यालय का संचालन किया जाएगा, ताकि सभी शिक्षकों के बीच समान रूप से दायित्व के साथ–साथ शिक्षण एवं गैर–शैक्षणिक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समय उपलब्ध रहे। इस हेतु कार्यों के निर्वह्न हेतु जवाबदेही निम्न अनुसार निर्धारित की जाती है :–

क्र.सं.	गतिविधियाँ	प्रभारी
1	मध्याह्न भोजन सहित सभी आवश्यक प्रतिवेदन	प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक (ई विद्यावाहिनी के द्वारा)
2	आकलन एवं मूल्यांकन (OMR भरने सहित)	वर्ग शिक्षक/प्रधान शिक्षक
3	विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) की बैठक एवं कार्यवाही	विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष या प्रधानाध्यापक–सह–सदस्य सचिव
4	पोशाक, पाठ्यपुस्तक, कार्य पुस्तिका, स्कूल किट, साइकिल इत्यादि का वितरण	सभी विद्यालयों तक बच्चों के Child Entitlements के वितरण की जवाबदेही संबंधित बीईईओ/ बीपीओ/ बीआरपी एवं सीआरपी की होगी ।
5	स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित किए जाने वाली दवाओं का वितरण	वर्ग शिक्षक
6	आधार पंजीकरण तथा अद्यतनीकरण, बैंक खाता का पंजीकरण	संबंधित विद्यालयों में प्रधानाध्यापक द्वारा पंजीयन हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्यालय के सभी शिक्षक सहयोग प्रदान करेंगे।
7	अन्यान्य	अन्य गतिविधियों हेतु प्रधानाध्यापक अपने स्तर से जवाबदेही का निर्धारण कर सकेंगे।

(iv) सभी प्रतिवेदन ई–विद्यावाहिनी द्वारा ऑनलाइन भरे जाऐंगे ताकि शिक्षकों के शैक्षणिक समय का ह्रास न हो। शिक्षकों द्वारा ऐसे किसी रिपोर्ट को Manually नहीं भरा जाएगा जो कि पहले से ही ई–विद्यावाहिनी द्वारा

संग्रहित है। विभाग एवं सभी निदेशालय आवश्यक आंकड़े सूचना प्रबंधन प्रणाली (MIS) कोषांग, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् से प्राप्त कर सकेंगे।

(v) शिक्षक द्वारा पहले और तीसरे शनिवार के उत्तरार्द्ध (Second half) के आधे समय में प्रशासनिक एवं प्रतिवेदन तैयार करने संबंधी कार्य करेंगे। बच्चों द्वारा उस अवधि का उपयोग खेल/ प्रश्नोत्तरी/ नृत्य/ संगीत/ चित्रकला/ नाटक/ सहगामी क्रियाएँ/ पुस्तकालय घंटी आदि में किया जाएगा।

(vi) विद्यालय प्रबंधन संबंधी सभी कार्य शिक्षकों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक द्वारा दिए गए जवाबदेही के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

(vii) विभागीय सचिव/प्रधान सचिव के द्वारा उपरोक्त व्यवस्था में आवश्यकतनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

6. शिक्षक के द्वारा गैर–विभागीय एवं गैर–शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में दिशा–निदेशः–

(i) शिक्षकों को अन्य विभागों के द्वारा गैर–शैक्षणिक गतिविधियों यथा– जनगणना, विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के संचालन के क्रियान्वयन हेतु प्रतिनियुक्ति शिक्षण अवधि में करना बिना विभागीय सचिव के सहमति के निषिद्ध रहेगी ताकि शिक्षकों के शैक्षणिक कार्यों एवं बच्चों के शिक्षण अधिगम समय का ह्रास न हो।

(ii) मुख्य सचिव स्तर से पूर्व निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप शिक्षकों से चुनाव कार्य के अलावा अन्य किसी विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम अथवा प्रशिक्षण आदि में बिना विभागीय सचिव के अनुमति के प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकेगा। किसी गैर–विभागीय गतिविधि हेतु कार्यक्रम के दो दिन पूर्व विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त कर कार्यक्रम से संबंधित शिक्षा विभाग के पदाधिकारी/प्रशासी निदेशालय को सूचित कर ही की जा सकेगी।

(iii) बी०एल०ओ कार्य के लिए शिक्षक केवल तभी प्रतिनियोजित किये जाएं जब अन्य विभाग के कर्मियों के प्रतिनियुक्ति के पश्चात् शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति आवश्यक हो।

(iv) चुनाव एवं परीक्षा कार्य के संपादन के लिए शिक्षक छात्र अनुपात (PTR) 1:40 को ध्यान में रखकर शिक्षकों को प्रतिनियोजित किया जाएगा एवं एकल शिक्षकीय विद्यालय के शिक्षक को इस कार्य से छूट दी जाएगी।

(v) किसी भी प्रखण्ड अथवा जिला संबंधी बैठक (गुरु गोष्ठी, समीक्षा बैठक, विद्यालय प्रबंध समिति इत्यादि) में शिक्षक केवल विद्यालय अवधि के पश्चात ही भाग लेने हेतु बुलाए जाए। प्रखण्ड अथवा जिला स्तर की बैठकें इस तरह से आयोजित हों कि शिक्षक अपने विद्यालयों के शैक्षणिक कार्य करने के पश्चात ही प्रखण्ड/जिला स्तरीय आयोजित बैठक में भाग ले सकें।

(vi) प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/अवर विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने नियंत्राधीन विद्यालयों के शिक्षकों की गुरूगोष्ठी, समीक्षा बैठक यथा सुविधा माह के प्रथम अथवा तीसरे शनिवार को ही आयोजित कर सकेंगे।

7. शैक्षणिक वर्ष के लिए अवकाश तालिका :–

(i) राज्य के सभी जिलों के विभिन्न कोटि के सरकारी एवं गैर–सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों के लिए एक समान 60 दिनों की अवकाश तालिका निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र.सं.	अवकाश	दिन
1	नव वर्ष	1
2	सोहराय	1
3	मकर संक्रान्ति	1
4	सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती	1
5	गणतंत्र दिवस	1
6	संत रविदास जयंती	1
7	महाशिवरात्रि	1
8	अम्बेदकर जयन्ती	1
9	होली	2
10	सरहुल	1
11	रामनवमी	1
12	महावीर जयंती	1
13	गुड–फाइडे	1
14	मजदूर दिवस	1
15	बुद्ध पूर्णिमा	1
16	ग्रीष्मावकाश	17
17	हुल दिवस	1
18	ईद–उल–फितर	1

19	रथ यात्रा	1
20	ईद–उल–जुहा (बकरीद)	1
21	विश्व आदिवासी दिवस	1
22	स्वतंत्रता दिवस	1
23	जन्माष्टमी	1
24	गणेश चतुर्थी	1
25	करमापूजा	1
26	मुहर्रम	1
27	गाँधी जयंती	1
28	दुर्गापूजा (अष्टमी, नवमी एवं विजया दशमी)	3
29	मिलाद–उल–नबी (पैगम्बर मोहम्मद का जन्म दिवस)	1
30	दीपावली	1
31	भैयादूज, गोवर्धन पूजा/ चित्रगुप्त पूजा	1
32	छठ पूजा	2
33	गुरू नानक जयंती	1
34	भगवान बिरसा मुण्डा जयंती/ राज्य स्थापना दिवस	1
35	क्रिसमस (25 दिसम्बर)	1
36	स्थानीय पर्व एवं आकस्मिक स्थानीय आवश्यकतानुसार जिला स्तर से निर्धारित किए जाने वाले अवकाश	5
कुल		60

(ii) सभी जिलों द्वारा उपरोक्त स्वीकृत वार्षिक अवकाश तालिका को सार्वजनिक रूप से सभी विद्यालयों के अनुपालन हेतु प्रचारित/प्रसारित किया जाएगा। जिला विशेष अपने जिले के स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप 05 दिनों की अवकाश की सूची झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को वार्षिक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

(iii) जिला द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पाँच दिवसों के अवकाश के अलावा विशेष परिस्थिति में यदि संबंधित जिले के उपायुक्त अथवा विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव के आदेश से अवकाश घोषित किया जाता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति किसी रविवार अथवा अन्य अवकाश के दिनों में पठन–पाठन सुनिश्चित कर करनी होगी।

(iv) राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन विद्यालय में किया जाना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय पर्व को छोड़कर किसी अन्य अवसर पर रैलियाँ/ प्रभात फेरी में बच्चे सम्मिलित नहीं होंगे ।

(v) जिला एवं राज्य स्तर से प्राप्त विभागीय आदेश अथवा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार विद्यालय में यदि कोई विशिष्ट दिवस/समारोह आयोजित किये जाते हैं तो इसे विद्यालय शिक्षण समय अपराह्न 03 बजे के बाद आयोजित किये जायें।

(vi) अन्य विभागों द्वारा संचालित जागरूकता/उन्मुखीकरण हेतु आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम हेतु प्रशासी विभाग से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

8. **विद्यालय से संबंधित अनुश्रवण** :–

(i) ई विद्यावाहिनी के माध्यम से सतत् अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग का कार्य किया जाएगा, ताकि बच्चों के शिक्षण अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक उपलब्ध रहें।

(ii) सभी नियंत्री पदाधिकारी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी तथा बी.आर.पी./सी.आर.पी. अपने क्षेत्राधीन अनुश्रवण के दौरान यह अनिवार्य रूप से देखेंगे कि संबंधित विद्यालय में शिक्षण अवधि में बच्चे सीखने की प्रक्रिया/शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संलग्न हों तथा यदि किसी विद्यालय में उपरोक्त दिशा–निदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक एवं संबंधित शिक्षक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी।

(iii) शिक्षकों को सुनिश्चित करना होगा कि शैक्षणिक कार्यों के लिए आवंटित समय का इस्तेमाल बच्चों के शिक्षण कार्य के लिए ही हो।

9. **नोडल प्राधिकार**– राज्य सरकार एवं प्रशासी विभाग की ओर से उपरोक्त निर्गत दिशा–निदेशों का अनुपालन प्रमण्डल के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त–निदेशक के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

10. राज्य के सरकारी विद्यालयों में बच्चों के सीखने की क्षमता में वृद्धि एवं उनके शैक्षणिक संवर्द्धन हेतु उपरोक्त निर्धारित शैक्षणिक व्यवस्था में आंशिक संशोधन विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव कर सकेंगे।

30/10/21

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14/म.2–04/2021..2144../ राँची, दिनांक..02.11.21..

प्रतिलिपि– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्/ निदेशक, राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/10/21

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14 / म.2–04 / 2021 -2144 / राँची, दिनांक 02.11.21

प्रतिलिपि– सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला शिक्षा अधीक्षक / सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/x/21

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।